संख्या- 2/2024/249/84-2-2024

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबंधक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0 प्र0,लखनऊ।

उपभोक्ता मामले अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक: 18 मार्च, 2024

विषय :- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3456 के अंतर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 9340/ एस० सी० डी० आर० सी०/ यू०पी०/ ब0आ०/ 23-24 दिनांक 13 फ़रवरी, 2024 एवं पत्र संख्या- 9878/ एस० सी० डी० आर० सी०/ यू०पी०/ ब०आ०/ 23-24 दिनांक 13 मार्च, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें

2- इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत उपभोक्ता मामले अनुभाग-2 के पत्र संख्या 139/84-2-2024 दिनांक 12.3.2024 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्ष "3456- सिविल पूर्ति- आयोजनेत्तर-001- निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का अधिष्ठान के अंतर्गत विभिन्न मानक मदों में संभावित बचतों के आधार पर मानक मद -01-वेतन से धनराशि रु. 69.00 लाख, मानक मद -03-महंगाई भत्ता से धनराशि रु. 21.00 लाख एवं मानक मद 04- यात्रा व्यय से धनराशि रु. 11.00 लाख अर्थात कुल रु. 101.00 लाख मात्र (रु. एक करोड़ एक लाख मात्र) की धनराशि अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्ष "3456- सिविल पूर्ति- आयोजनेत्तर-001- निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का अधिष्ठान के अंतर्गत मानक मद -10-जलकर एवं जल प्रभार में धनराशि रू. 21.00 लाख एवं मानक मद- 52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में धनराशि रु. 80.00 लाख अर्थात कुल रु. 101.00 लाख मात्र (रु.एक करोड़ एक लाख मात्र) का आवंटन संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग कर व्यय करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं-

(1) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के **आर.ई.संख्या –बजट-1- 547 दिनाँक** 05.03.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

संख्या: /2024/ / चौरासी-2-2024 तददिनांक,

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- प्रधान महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ० प्र०, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ० प्र०, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहरभवन लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त(लेखा) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0-9(भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम "21-लेखाशीर्षक 3456-सिविलपूर्ति-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-06 उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का अधिष्ठान" वित्तीय वर्ष 2023-24 प्रपत्र–बी0एम0-9

(धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**		
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेषअनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
3456-00-001-06-00-01 (वेतन)	5620.00	69.00	69.00	69.00	5551.00
3456-00-001-06-00-03(मँहगाई भत्ता)	2409.00	21.00	21.00	21.00	2388.00
3456-00-001-06-00-04 (यात्रा भत्ता)	20.00	12.00	11.00	11.00	9.00
	8049.00	102.00	101.00	101.00	7948.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण			**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**		
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि(9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3456-00-001-06-00-10(जलकर एवं जल प्रभार)	23.00	44.00	21.00	21.00	44.00
3456-00-001-06-00-52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	100.00	180.00	80.00	80.00	180.00
योग	123.00	224.00	101.00	101.00	224.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों /परिसीमाओं का उल्लघन नहीं होता है।

संख्या- **आर.ई.संख्या –बजट-1- 547 दिनाँक 05.03.2024**

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।।

(राजेन्द्र कुमार)
उप सचिव,
उपभोक्ता मामले विभाग।

(कुंवर मकरंद सिंह)
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या : /चौरासी-2-2024 दिनांक मार्च , 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. वरिष्ठ ऑडिट ऑफिसर(आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम,सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
5. निदेशक,वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, लेखा, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन (तीन प्रतियों में)।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in